

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 161]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 1977 भाद्र 5, 1899

No. 161]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 1977/BHADRA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सफलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi the 27th August 1977

SUBJECT—Awards for Public Recognition of Outstanding Export Performance

No. S(9)-75-EAC—The following amendments may be made in the Government of India, Ministry of Commerce Resolution on the above subject, published in Part I Section I of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 6th September, 1976

2 For the existing paras 4, 6 8 and 10 of the Resolution the following will be substituted, namely —

“4 Awards numbering upto seventeen (17) may be given every year. A smaller number of awards may be granted in any year if it is considered that there are not sufficient number of deserving candidates. Upto five (5) Awards out of seventeen every year will be given to the small scale and cottage sector exporters subject to availability of sufficient number of candidates from these sectors”

“6 A Selection Committee consisting of the under-mentioned will make recommendations for the Awards and the Certificates of Merit to the Minister of Commerce —

- 1 A Judge or a retired Judge of the Supreme Court or High Court
- 2 Secretary in the Ministry of Commerce or his nominee
3. Chief Controller of Imports and Exports
- 4 Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi.

5. President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi
 6. President, Federation of Indian Export Organisations New Delhi.
 7. President, Associated Chambers of Commerce and Industry of India, Calcutta.
 8. Officer-in-charge of Export Assistance Division of the Ministry of Commerce, nominated by the Secretary in the Ministry of Commerce.
 9. Director-General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta."
- "8. The Selection Committee shall review the nominations for the Awards and the Certificates of Merit received from the sponsoring authorities which shall be as follows in respect of the commodities shown against each:—
- (a) Export Promotion Councils—In respect of commodities dealt with by them.
 - (b) Commodity Boards—In respect of commodities dealt with by them.
 - (c) Textile Commissioner—Textiles.
 - (d) Jute Commissioner—Jute.
 - (e) Development Commissioner (Small Scale Industries)—Small Scale Units.
 - (f) Khadi & Village Industries Commission—Khadi & Village Industries Units.
 - (g) Any other Organisation approved by Government for this purpose—In regard to other commodities"
- "10. The eligibility for the award referred to in paragraph 1, shall be based on the following considerations:—
- (i) Development of a market abroad for a product which has not been previously exported
 - (ii) Substantial increase in export sales on a sustained basis, preferably in non-traditional commodities and in finished products
 - (iii) Successful introduction of a new product into the export trade
 - (iv) Product development CN pNr
 - (v) Successful break-through in a foreign market where conditions are specially difficult
 - (vi) Recovery of lost ground in export markets
 - (vii) Novel and successful solutions to foreign trade problems.
 - (viii) Demonstrated efforts in international marketing and promotion of products which have contributed directly to the expansion of exports in general.
 - (ix) Demonstrated efforts in making credit available for expansion of export trade and for other financial assistance
 - (x) Success in executing turn-key projects abroad or large orders for complete machinery involving supply, erection, after-sales-services, etc., through global tenders or otherwise.
 - (xi) Demonstrated efforts in assisting small scale units or cottage industry units in export production and export marketing.
 - (xii) Demonstrated efforts by large Export Houses to export goods manufactured by the SSI and cottage sector.
 - (xiii) Significant success achieved by SSI Units/recognised consortia of SSI units/Export Groups of SSI Units/Cottage Industry units in exporting their products abroad.
 - (xiv) Any other significant contribution in the field of export performance or promotion.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

P. K. KAUL, Addl. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1977

विषय.—उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन की सार्वजनिक मान्यता के लिए पुरस्कार ।

सं० 8(9) 75-ई० ए० सी० —भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 6 सितम्बर, 1976 में प्रकाशित, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प में निम्नोक्त संशोधन किये जाएंगे ।

2. उस संकल्प की विद्यमान कड़िकाओं 4, 6, 8 तथा 10 के स्थान पर निम्नोक्त प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“4. प्रति वर्ष सत्रह (17) तक पुरस्कार दिये जा सकते हैं । किसी वर्ष अगर यह महसूस किया जाए कि सुपात्र प्रत्याशियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो कम संख्या में पुरस्कार दिये जा सकते हैं । प्रत्येक सत्रह में से पांच (5) तक पुरस्कार लघु तथा कुटीर क्षेत्र के निर्यातकों को दिये जाएंगे बशर्ते कि इन क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में प्रत्याशी उपलब्ध हों ।”

“6 निम्नोक्त व्यक्तियों की एक चयन समिति पुरस्कारों तथा श्रेष्ठता प्रमाणपत्रों के लिए वाणिज्य मंत्री को सिफारिश करेगी —

1. उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश ।
2. वाणिज्य मंत्रालय का सचिव अथवा उसका मनोनीत व्यक्ति ।
3. आयात निर्यात का मुख्य नियंत्रक ।
4. विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली ।
5. अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली ।
6. अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन-संघ, नई दिल्ली ।
7. अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग सहयोगी मंडल, कलकत्ता ।
8. वाणिज्य मंत्रालय के सचिव द्वारा मनोनीत, वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात सहायता प्रभाग का प्रभारी अधिकारी ।
9. महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन, कलकत्ता ।”

“8 चयन समिति, पुरस्कार तथा श्रेष्ठता प्रमाण पत्रों के लिए प्रायोजक प्राधिकारियों से, जो प्रत्येक के सामने दर्शाई गई वस्तुओं के सम्बन्ध में निम्नोक्त होंगे, प्राप्त हुए नामांकनों का पुनरीक्षण करेगी —

(क) निर्यात संवर्धन परिषदें	}	उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिनका लेन देन उनके द्वारा किया जाता है ।
(ख) वस्तु बोर्ड		

(ग) वस्त्र आयुक्त	वस्त्र
(घ) पटसन आयुक्त	पटसन
(ङ) विकास आयुक्त (लघु उद्योग)	लघु एकक
(च) खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग	खादी तथा ग्रामीण उद्योग

(छ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में।
अन्य संगठन

“ 10 कड़िका 1 में निर्दिष्ट पुरस्कार के लिए पात्रता निम्नोक्त बातों पर आधारित होगी :—

- (1) किसी ऐसे उत्पाद के लिए विदेशों में बाजार विकसित करना जिसे पहले निर्यात नहीं किया गया हो।
- (2) सतत आधार पर निर्यात बिक्रियों में पर्याप्त वृद्धि अधिमानतः अपरम्परागत वस्तुओं तथा तैयार उत्पादों में।
- (3) निर्यात-व्यापार में किसी नए उत्पाद का सफलतापूर्वक प्रवेश।
- (4) उत्पाद विकास।
- (5) ऐसे विदेशी बाजार में सफलता पूर्वक प्रवेश करना जहाँ परिस्थितियाँ विशेष रूप में कठिन हो।
- (6) निर्यात बाजारों में सोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करना।
- (7) विदेश व्यापार सम्बन्धी समस्याओं के नवीन तथा सफल समाधान।
- (8) अन्तर्राष्ट्रीय विपणन तथा उत्पादों के संवर्धन में निरूपित प्रयास जिससे सामान्यतः निर्यातों के विस्तार को प्रत्यक्ष सहायता मिली हो।
- (9) निर्यात व्यापार के विस्तार के लिए ऋण उपलब्ध कराने में तथा अन्य वित्तीय सहायता के लिए निरूपित प्रयास।
- (10) विश्व व्यापी निविदाओं या अन्य प्रकार के माध्यम से विदेश में टर्न-की परियोजना पूरी करने में अथवा पूरी मशीनरी के लिए व्यापक क्रयादेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करना, जिसमें उसकी सप्लाई, उसे लगाना, बिक्री के बाद की सेवाएं आदि भी शामिल हों।
- (11) लघु एकाको अथवा कुटीर उद्योग एकाको को सहायता पहुंचाने के लिए निर्यात उत्पादन तथा निर्यात विपणन के लिए निरूपित प्रयास।
- (12) लघु उद्योग तथा कुटीर क्षेत्र द्वारा निर्मित निर्यात माल के लिए बड़े निर्यात सदनों द्वारा निरूपित प्रयास।
- (13) विदेशों को अपने उत्पाद निर्यात करने में लघु उद्योग एकाको/ लघु उद्योग एकाको के मान्यता प्राप्त सार्थसंघ/ लघु उद्योग एकाकों के निर्यात समूहों/ लघु उद्योग एकाकों द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय सफलता।
- (14) निर्यात निष्पादन तथा संवर्धन के क्षेत्र में कोई अन्य महत्वपूर्ण योगदान।

आवेद

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जाए।

पी० के० कौल, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977